

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

संख्या 2 सह-परीक्षा 172/05-382/

राँची, दिनांक 21/02/2012

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के सहकारिता विभाग के अधीन झारखण्ड सहकारिता सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

झारखण्ड सहकारिता सेवा नियमावली, 2012

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- यह नियमावली झारखण्ड सहकारिता सेवा नियमावली 2012 कहलायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :-

इस नियमावली में जब तक संर्दभ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।
- "विभाग" से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग।
- "सेवा" से अभिप्रेत है झारखण्ड सहकारिता सेवा।
- "सम्बर्ग" से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप स्वीकृत सेवा के पद या बल।
- "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग।
- "नियमावली" से अभिप्रेत है झारखण्ड सहकारिता सेवा नियमावली, 2012।
- "सदस्य" या "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सहकारिता सेवा में नियुक्त व्यक्ति।
- "नियुक्ति वर्ष" से अभिप्रेत है, 01ली जनवरी से प्रारम्भ होने वाला और 31वीं दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष।
- नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है- सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।

3. संवर्ग की रचना एवं बल

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
(i)	अपर निबंधक	1	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700
(ii)	संयुक्त निबंधक	6	15600-391000+ग्रेड वेतन 7600
(iii)	उप निबंधक	13	15600-391000+ग्रेड वेतन 6600
(iv)	सहायक निबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी	76	9300-34800+ग्रेड वेतन 5400

(मूल कोटि)

3.1 सेवा का गठन:-

- (क) झारखण्ड सहकारिता सेवा नाम से सेवा का गठन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार एवं उड़ीसा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 18 के प्रयोजनार्थ यह राज्य सेवा समझी जायेगी।
- (ख) यह सम्वर्ग सहकारिता विभाग, झारखण्ड के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव सहकारिता विभाग, झारखण्ड होंगे।
- (ग) राज्य सरकार समय-समय पर इस सम्वर्ग के सम्वर्गीय बल का निर्धारण करेगी एवं स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सम्वर्ग के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी।
- (घ) राज्य सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस सम्वर्ग की संरचना एवं बल की समीक्षा करेगी।
4. पद स्थिति :- झारखण्ड सहकारिता सेवा के सदस्य राजपत्रित होंगे।

अध्याय - 2

भर्ती/नियुक्ति

5. भर्ती का स्रोत :-

इस सेवा में भर्ती निम्न प्रकार से की जायेगी :-

- (क) इस नियमावली के अध्याय -3 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा,
- (ख) इस नियमावली के अध्याय - 4 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा,

6. रिक्तियों में आरक्षण :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए रिक्तियों में आरक्षण सरकार द्वारा राज्य-सेवाओं के लिए समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

7. रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना :-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार 31 दिसम्बर को उस वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगी तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की सूचना आयोग को देगी।

अध्याय - 3

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

8. सीधी भर्ती:-

इस सेवा के मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) का 75% झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। आयोग विज्ञापन निकाल कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में भर्ती के लिए विहित अहर्ता प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजेगी।

9. पात्रता :-

इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अहर्ता:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्था से स्नातक।
- (ii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम/अधिकतम आयु।
- उपर्युक्त निर्धारित कालावधि की गणना रिक्ति के वर्ष की 1 ली जनवरी से की जायेगी।

382
21/02/12

10. आयोग द्वारा अम्यर्थियों की अनुशंसा :-

आयोग नियम 14 के अनुसार लिखित तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई मेधा सूची में आयोग अपेक्षित नामों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा। किसी अम्यर्थी के योगदान न करने या रिक्तियों के बढ़ने की स्थिति में एक वर्ष के अंदर या अगली विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, जो भी पहले हो, उसी मेधा सूची (पैनल) से अम्यर्थियों की अनुशंसा की जा सकेगी।

अध्याय - 4

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

11. प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

- (1) इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) से निम्न सभी पद इस सेवा की मूल कोटि के सदस्यों से प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे।
- (2) इस सेवा के मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के 25% पदों को सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से वरीयता एवं योग्यता के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी.
 - (क) जिन्होंने प्रोन्नति हेतु विचारण माह की पहली तारीख को न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर पूरी कर ली हो,
 - (ख) जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्यर्थियों की अनुलब्धता की स्थिति में 10 वर्षों की सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष तक सरकार द्वारा क्षांत किया जा सकेगा।
- (3) उप नियम (2) के अधीन निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों के संबंध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।
- (4) सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों की आपसी वरीयता रिक्ति वर्ष के आधार पर निर्धारित नियम के तहत की जायेगी।

12. सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में अनुपात :-

सरकार द्वारा यथास्वीकृत मूल कोटि का अधिकतम 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा तथा शेष 75 प्रतिशत पद आयोग की अनुशंसा के आलोक में सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

13. रिक्तियों का नियतिकरण :-

- (क) योग्यता :- सहायक निबंधक के 25% रिक्त पद के विरुद्ध योग्यता एवं अहर्ता के आधार पर तथा प्रचलित आरक्षण, रोस्टर के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति दी जायेगी।
- (ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कालावधि :- नियम 11 (2) के (क) एवं (ख) के अनुसार।

अध्याय - 5

विधि

14. प्रोन्नति का पद सोपान :-

- | क्र० | पद का नाम |
|-------|--------------------------------------|
| (i) | अपर निबंधक |
| (ii) | संयुक्त निबंधक |
| (iii) | उप निबंधक |
| (iv) | सहायक निबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी |

382
21/02/12

15. प्रोन्नति हेतु नियुक्तियों का नियतीकरण :-

नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक की रिक्तियों की संख्या अनु0जाति/अनु0 जनजाति एवं अन्य पि. डा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या के साथ निर्धारित (अवधारित) किया जायेगा। तथा पंचाग वर्ष की 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से झारखण्ड लोक सेवा आयोग को रिक्तियों की भरे जाने की अधियाचना प्रेषित की जायेगी।

16. कालावधि :-

कालावधि निर्धारण यथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

17. प्रोन्नति की प्रक्रिया :-

राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश के अनुसार बैठकों का आयोजन कर वरीयता एवं अहर्ता के सिद्धान्त पर प्रोन्नति दी जायेगी।

18. विभागीय परीक्षा एवं सेवा सम्पुष्टि :-

- (1) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 3371 दिनांक 18.06.2003 के नियम 13(iii) के आलोक में विभाग द्वारा गठित परीक्षा नियमावली के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी तथा लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी।
- (2) राज्य के अधिसूचित (जनजातीय) क्षेत्रों में पदस्थापित इस सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापन के 18 माह के अन्दर जनजातीय परीक्षा यथा-हो, मुण्डारी, संथाली, उराँव (कुड़ुख) में से कोई एक भाषा में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (3) सभी विभागीय दायित्वों को पूरा कर लेने के उपरान्त संतोषप्रद सेवा की स्थिति में सेवा की सम्पुष्टि होने के बाद आगामी वेतनवृद्धि देय होगी।
- (4) परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्टि किया जा सकेगा, वरन्त कि वह निर्धारित मापदंड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और, राज्य सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझे।
- (5) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं होने तथा सेवा की सम्पुष्टि के अभाव में वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी, जो विभागीय परीक्षा अथवा सम्पुष्टि जो अपेक्षित हो के उपरान्त देय तिथि से अनुमान्य होगी, परन्तु किसी भी स्थिति में बकाये वेतन वृद्धि के फलस्वरूप देय बकाया राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा।
- (6) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की संदर्भ तिथि परीक्षा सम्पन्न होने के ठीक अगले दिन होगी।
- (7) विभागीय संकल्प संख्या 2405 दिनांक 20.12.2008 के आलोक में 01.01.1996 के पूर्व नियुक्त इस सेवा के पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

19. प्रशासनिक नियंत्रण :-

सहकारिता सेवा संवर्ग (राजपत्रित) के पदाधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण सहकारिता विभाग झारखण्ड, राँची का होगा।

20. कार्य क्षेत्र संबंधी अनुबंध :-

- (1) इस सेवा के सदस्य को कार्य के लिए सरकार के किसी भी विभाग के अधीन झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर किसी भी स्थान पर, पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (2) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी गैर-सम्बन्धीय पद पर भी, जो उसकी वरीयता के अनुरूप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सके।

14/11/20
382
21/02/12

21. प्रशिक्षण-

इस सेवा के नव नियुक्त पदाधिकारियों को एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसके तहत चार माह का आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में, छः माह का सहकारिता प्रबंधन में उच्चतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त सहकारिता प्रबंधन संस्थान में तथा दो माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तर होगा।

22. अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य सेवा शर्तें :-

अनुशासनिक कार्रवाई असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 तथा संदर्भ में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेश के तहत किया जायगा।

23. स्थानान्तरण/पदस्थापन :-

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली में विहित नियम के अनुसार तथा इससे संबंधित निर्गत परिपत्र के आलोक में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन का निर्णय सहकारिता विभाग द्वारा लिया जायेगा।

24. निरसन :-

राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस नियमावली के प्रावधानों को विहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सके। प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।

25. वेतन:-

विभिन्न कोटियों के पदों के वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे अथवा उनके तत्समान प्रतिस्थापन वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किए जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

सहकारिता विभाग झारखंड राँची।

ज्ञापक:- 2 सह-परीक्षा 172/05.382/-

राँची, दिनांक 21/02/2012

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशन के तुरन्त बाद इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाय।

सरकार के सचिव

सहकारिता विभाग झारखंड राँची।

ज्ञापक:- 2 सह-परीक्षा 172/05.382/-

राँची, दिनांक 21/02/2012

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/गृहमहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची, सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड, सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्तसचिव/सभी संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ (अकेक्षण सहित)/सभी उपनिबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राज्य सहकारिता बैंक/सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड/आम्फकोफेड/वेजफेड, राँची/राज्य अनुभवाण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, राँची/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

सहकारिता विभाग झारखंड राँची।